न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 05/2019

शीर्षक

श्रवणी देवी पत्नी रामचन्द्र बलाई नि. बलाईयों का बास वार्ड शाहपुरा तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
वादीया

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र प्रभात बलाई नि. ग्राम उदावाला तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
3. उपपंजीयक उपपजियन कार्यालय शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
4. पटवारी, पटवार हल्का घासीपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
5. गुलाबचन्द पुत्र बिरदूराम बलाई नि. घासीपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
6. नोरू गोदारा पत्नी ललित गोदारा जाति बलाई नि. शंकर कालोनी शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 24/2/2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 2/1299/0.31 है0 कुल किता 1 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। आराजी भूमि शामलाती भूमि रही है जिसमे मनबट के आधार पर बंटवारा करके वादी व प्रतिविादी सं. 1 अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा वादीया का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज व अंकित है। उक्त मनबट के बंटवारे के अनुसार वादीया का हिस्सा सम्पूर्ण आराजी में पूर्व पश्चिम भाग बराबर बराबर करते हुए उत्तरी दिशा का हिस्सा आया था तथा दक्षिणी दिशा की तरफ का हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से व कब्जे में आया था तभी से वादीया व प्रतिवादी सं. 1 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने दक्षिणी हिस्से पर अपने निवास हेतु रिहायशी निर्माण भी कर रखा है तथा वादीया अपने उत्तरी दिशा की तरफ के हिस्से पर काबिज रहकर आज भी उपयोग उपभोग करती चली आ रही है।

यह है कि प्रतिवादी सं. 1 के मन में दुर्भावना आ गई है जिसके चलते उसने अन्य लोगो के साथ मिलकर एक नाजायज संगठन बना रखा है तथा वादीया के उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजामहत व अडचन पैदा करने लग गया है तथा उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व वादीया को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने को आमादा है तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के उपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियों के पक्ष मे करने को आमादा है। अभी 4–5 रोज पहले प्रतिवादी सं.1 अन्य दीगर व्यक्तियों को लेकर उक्त आराजी मुतनाजा पर आया तथा वादीया के हिस्से में आई आराजी पर जबरन नींव खोदने लगे जिस पर वादीया द्वारा कारण पूछने पर वे उक्त विशिष्ट भू–भाग को बेचान करने एवं निर्माण कार्य करने को कहा जिस पर वादीया द्वारा मना करने पर कि अभी हमारी उक्त आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है आप कैसे बेचान व निर्माण कार्य कर सकते हो आपको ऐवा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है, जिस पर वे सभी भड़क गये एवं एलानियां धमकी दी कि हम तो बिना नाप जोख, तकास्मा के ही विशिष्ट भू भाग को बेचान दीगर व्यक्तियों को करेगे तथा तुम्हे ताकत के बल पर बेदखल कर देगे एवं निर्माण कार्य करके रहेगे। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 की हरकतो से साफ जाहिर होता है कि वह सहखातेदारी के रूप में नहीं रहना चाहता है तथा बिना तकास्मा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करके बेचान करने पर उतारू है इसलिए वादीया को हक है कि प्रतिवादी सं.1 के विरूद्ध अधिकार है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त विवादित भूमि का मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया जावे इसलिये वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अन्त में निवेदन किया कि उक्त आराजी का नियमानुसार बंटवारा कर वादीया/प्रतिवादी सं. 1 के मध्य पूर्व में हुए कब्जे काश्त के अनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा किया जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ताकि वे वादीया के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधाकारित ना करे।

न्यायालय सहायक कलक्टर राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। दिनांक 15.03.2019 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 22.08.2019 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 05.12.2019 को वकील प्रतिवादीगण ने प्रा0पत्र आदेश–1 नियम–10 सीपीसी0 पेश किया गया। वकील उभयपक्ष को प्रा0पत्र पर सुना गया। प्रा0पत्र आदेश–1 नियम–10 सीपीसी0 स्वीकार किया गया।

दिनांक 24.06.2020 को प्रकरण में बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, दिनांक 17.02.2021 को बंटवारा रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी ने आपत्ति पेश की। प्रा0पत्र आपत्ति कुर्रेजात पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रतिवादी ने अपने प्रा0पत्र के संबंध में निवेदन किया कि उक्त आराजी का सरस–नरस के आधार पर खातेदारान की उपस्थिति में बंटवारा रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए थे। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा बिना प्रार्थी को सूचना दिए बगैर बंटवारा रिपोर्ट तैयार की गई है अतः बंटवारा रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे। वकील अप्राथी/वादी ने प्रा0पत्र आपत्ति कुर्रेजात के संबंध में निवेदन किया कि बंटवारा रिपोर्ट सभी पक्षकारान को सूचित कर तैयार की गई है, मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर सरस–नरस के आधार पर तैयार की गई है। प्रा0पत्र प्रकरण को देरी करने की गरज से पेश किया गया है, प्रा0पत्र में रास्ते अन्य बिन्दु के संबंध में आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आ. ख.नं. 2/1299/0.31 है0 भूमि वाके ग्राम घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. **श्रवणी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति बलाई सा.देह शाहपुरा खातेदार के हिस्से में आ.ख.न. 2/954 रकबा 0.1550 है0 भूमि रहेगी।**

2. **कल्याण सहाय पुत्र प्रभात जाति बलाई सा.देह उदावाला खातेदार के हिस्से में आ.खा.नं. 2/1299 रकबा 0.1550 है0 भूमि रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुजु रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :– 05/2019

शीर्षक

श्रवणी देवी पत्नी रामचन्द्र बलाई नि. बलाईयों का बास वार्ड शाहपुरा तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
वादीया

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र प्रभात बलाई नि. ग्राम उदावाला तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
3. उपपंजीयक उपपजियन कार्यालय शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
4. पटवारी, पटवार हल्का घासीपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
5. गुलाबचन्द पुत्र बिरदूराम बलाई नि. घासीपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
6. नोरू गोदारा पत्नी ललित गोदारा जाति बलाई नि. शंकर कालोनी शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आ. ख.नं. 2/1299/0.31 है0 भूमि वाके ग्राम घासीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. **श्रवणी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति बलाई सा.देह शाहपुरा खातेदार के हिस्से में आ.ख.न. 2/954 रकबा 0.1550 है0 भूमि रहेगी।**

2. **कल्याण सहाय पुत्र प्रभात जाति बलाई सा.देह उदावाला खातेदार के हिस्से में आ.खा.नं. 2/1299 रकबा 0.1550 है0 भूमि रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज तारीख 24/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner